पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियत तिथि
दिनांक [illegible] को पेश हो।

23/2 पत्रावली पेश हुई। दकुलाय उपस्थित I.P.O. के
अन्य कार्यो में व्यस्थ हैं। पत्रावलों पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 20/4/17 को पेश हों।

20/4/17 वकील वादीगण उप०। बार-बार आवाज दिलाई गई जिसके बावजूद भी प्रतिवादीगण कि ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अत: प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई एवं पत्रावली प

अंगु. नि.

8/8/1

पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सं 2056 से 2059 तक ग्राम रायपुर पाटन के अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख० न० 909, 922, 992, 996, कुल किता 4 कुल रकबा 1.12 है की खातेदारी मनोहर, जयराम कुरडाराम, रामनिवास पि० जगन्नाथ कौम गुर्जर ढाणी गोविन्दवाला सा.केट के नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबंदी 2056 से 2059 तक ग्राम रायपुर पाटन का अवलोकन करने पर पाया गया कि कि ख०न० 1001 रकबा 0.76 है कि खातेदारी मनोहर जयराम, कुरडाराम, रामनिवास पि० जगन्नाथ कौम गुर्जर हि० 1/2 ढाणी गोविन्दवाला, देवीसिंह गुलाब सिंह पि० प्रभु सिंह हि० 1/2 कौम राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण वाद पत्र में अंकित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। वादीगण के नाम दर्ज भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही। वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का कोई जवाब पेश नही किया गया है जिससे स्पष्ट जाहिर है कि प्रतिवादीगण वादीगण को बेवजह परेशान करते है। एवं जबरदस्ती खेप कि भूमि में काश्त करने पर दखलन्दाजी करते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी में प्रस्तुत शपथ पत्र लीलाराम, रामसिंह मनोहरलाल का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने व बयान गवाहान से वादीगण द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यो की पुष्टि होती है। वैसे भी वादीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

Sd/-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की ता में जारी हु
	इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि भूमि ख0न0 909, 922, 992 व 996 किता 4 रकबा 1.12 हे0 तन ग्राम रायपुर पाटन हि0 3/4 व भूमि ख.न. 1001 रकबा 0.76 हे0 तन ग्राम रायपुर के 1/2 हिस्से में से वादीगण के 3/4 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (जगदीश प्रसाद गौड)	